(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1792–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2005 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सागर म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 381/बी–03/2004–05

मै0सोहनसिंह यादव
द्वारा भागीदार श्री सोहनसिंह यादव
पुत्र श्री भगवान दास सिंह यादव
निवासी सी 55 पद्मनाभ नगर,
रायसेन रोड, भोपाल

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
वास्ते कलेक्टर जिला सागर
2–खनिज अधिकारी
वास्ते कलेक्टर जिला सागर

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/18 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 2(सी) के अंतर्गत न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 942/खनिज/05 दिनांक 5–1–2005 से अपीलार्थी को 6,00,000/– रुपये रायल्टी भुगतान पर दिनांक 5–1–2004 से दिनांक 26–7–2005 तक अवधि के लिये रहली तेंदूखेडा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम छिरारी तहसील रहली के सर्वे क्रमांक 1217 एवं

372 रकवा 4.00हेक्टर में 12000 घनमीटर गिटटी एवं 20000 घनमीटर मुरम के अस्थायी उत्खनन की अनुमति दी । इस अनुमति पत्र में पटटे की समस्त शर्ते समाविष्ट होने से भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(16) के अंतर्गन इसके पटटे की श्रेणी में आने से उक्त अधिनियम की शुक्ल सारणी के अनुच्छेद 33(ख) अंतर्गत रायल्टी की राशि (प्रीमियम) पर 8 प्रतिशत की दर से 48000/– रुपये मुद्रांक शुल्क देय था । चूँकि विलेख पर अपीलार्थी द्वारा मुद्रांक शुल्क नहीं दिया गया इसलिये भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 में कार्यवाही हेतु धारा 33 के अन्तर्गत इसे अवरूद्ध कर प्रकरण दर्ज किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत अपीलार्थी को आदेशित किया कि वह कमी मुद्रांक शुल्क की राशि रुपये 48000/– जमा करें साथ ही अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये कमी मुद्रांक शुल्क की राशि का एक गुना अर्थात रुपये 48000/– की शास्ति भी अधिरोपित की गई । उक्त राशि एक माह की अवधि में अनिवार्य रूप से जमा करने के आदेश दिनांक 18–10–2005 को दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अपीलार्थी को दी गई अनुमति अस्थाई अनुज्ञा मात्र है । अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपा गया है । अपीलार्थी को मात्र अनुमति अधीन भूमियों में से केवल उतनी ही मात्रा में गिट्टी और मुरम निकालने की अनुमति दी गई है जितने की अग्रिम रायल्टी राशि प्रत्यर्थी ने जमा है । इसलिये अपीलार्थी को दी गई अनुमति के तत्व भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(16) में परिभाषित पटटे से भिन्न है । किसी विलेख के पटटा होने के लिये अधिकारदाता की मंशा को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है । उक्त अनुमति में पटटाधारी लिख देने से उक्त अनुज्ञा पटटे में परिवर्तित नहीं होती है । किसी लिखित के पटटा या अनुज्ञा होने के संबंध में विनिश्चय के सुस्थापित मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध हैं । अधीनस्थ न्यायालय को

दस्तावेज के शब्दो का अर्थ और उद्देश्य की जॉच करने का व्यापक अधिकार है परन्तु न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उक्त दस्तावेज का पटटा होना सिद्ध होता हो । ऐसी अवस्था में जब स्वयं खनिज विभाग यह कथन कर रहा है कि उसने अपीलार्थी को अनुज्ञा मात्र प्रदान की है और कोई पटटा नहीं दिया है तब स्टाम्प ड्यूटी का अधिरोपण करना अवैधानिक है । तर्क में यह भी बताया कि उक्त अनुमति द्वारा अनावेदक को अनुमति अधीन भूमियॉ हस्तांतरित नहीं की गई है और अपीलार्थी को उक्त भूमियों का एक्सक्लूसिव पजेशन भी नहीं दिया गया है । अपीलार्थी को मंडी निधि के तहत शासन द्वारा आदेशि सड़क को बनाने के सीमित प्रयोजन के लिये सीमित मात्रा में मुरम और गिटटी निकालने की अनुमति दी गई थी और इसलिये यह अनुमति मात्र अनुज्ञा है, पटटा नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को उचित रूप में संज्ञान में नहीं लेकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर ने आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर अपील खारिज की जाये व अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में मुख्यतः यह विनिश्चय किया जाना है कि आवेदक द्वारा सम्पादित विलेख मात्र अनुमति पत्र है या पट्टा । संबंधित विलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि उसकी शर्त कमांक '9' में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक की हैसियत पटटाधारी की है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने भी अपने आदेश दिनांक 18–10–2005 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(16) में विलेख को पटटा मानने के विस्तृत कारण दर्शाये हैं । उन कारणों के विरोध में आवेदक की ओर से कोई विरोधी

तर्क इस प्रकरण में पेश नहीं किये गये हैं । स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने संबंधित विलेख को पटटा मानकर मुद्रांक शुल्क की गणना करने में कोई त्रुटि नहीं की है । फलतः यह अपील अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर